607

संख्या– 88 /VI-2/2014–51(3)/2014

प्रेषक,

डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 29 मार्च, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए जिला योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष जनपदों में तैनात प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सवकों के ड्यूटी भत्ते में कम पड़ रही धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1553/दो–2507/पुर्न./2013–14 दिनांक 14 मार्च, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय 2013–14 के लिए जिला योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष जनपदों में तैनात प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सवकों के ड्यूटी भत्ते में कम पड़ रही धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹20.00 लाख (बीस लाख मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0–09 प्रपत्र के अनुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से, आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3– धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय। धनराशि का आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर यथाआवश्यकता नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

5– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

6– उक्त धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला **व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण–00–02–मजदूरी मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष** में संलग्न बी0एम0–09 (भाग–एक) प्रपत्र के कॉलम–1 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 99(NP)/XXVII(3)/2013–14 दिनांक 29 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या 88/VI-2/2012–51(5)2011 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।